भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 203*

(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

'आधार' - आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

†***203. श्री गोपाल जी ठाकुर:**

श्री जनार्दन मिश्रा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विशेषत: 2014-24 और 2006-13 की तुलना में , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत नियोजित व्यक्तियों का विशेषत: दरभंगा सहित बिहार , हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार/जिला-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) देश में राज्य-वार , विशेषत: दरभंगा और अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित उक्त राज्यों में , लाभार्थियों की कमाई/आजीविका बढ़ाने के लिए 'आधार'-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की भूमिका क्या है और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का उक्त योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय जांच दल तैनात करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोकसभा में दिनांक 10.12.2024 के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 203 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2013-14 और 2014-15 से 2024-25 तक (दिनांक 05.12.2024 की स्थिति के अनुसार) बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत सृजित श्रम-दिवसों का ब्यौरा अनुबंध- I में दिया गया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत बिहार के दरभंगा जिले में सृजित श्रम-दिवसों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लाभार्थियों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों द्वारा बैंक खाता संख्या में बार-बार परिवर्तन करने तथा कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा इसे अपडेट न करने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) लागू करने का निर्णय लिया गया, जो बैंक खाता बदलने के कारण प्रभावित नहीं होता है। इसे 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है। आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से मजदूरी का भुगतान लाभार्थियों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव डालता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि लाभ बिना किसी देरी या गलत जगह पहुंचने/चोरी होने के बजाय सीधे इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (दिनांक 05.12.2024 की स्थिति अनुसार), महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार किए गए आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम लेनदेन के ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (दिनांक 05.12.2024 की स्थिति अनुसार) बिहार के दरभंगा जिले, उत्तर प्रदेश के हापुड़ और अमरोहा जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत किए गए आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम लेन-देन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (दिनांक 05.12.2024 की स्थिति अनुसार) बिहार के दरभंगा जिले, उत्तर प्रदेश के हापुड़ एवं अमरोहा जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम लेनदेन का ब्यौरा

ज़िला	कुल लेनदेन	एपीबीएस लेनदेन	एपीबीएस लेनदेन %
अमरोहा	310715	308162	99.18
हापुड़	594	594	100
दरभंगा	481595	478989	99.46

(ग): महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारों की है। मंत्रालय के पास महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए निगरानी और समीक्षा तंत्र की एक व्यापक प्रणाली है। मंत्रालय नियमित रूप से विभिन्न माध्यमों जैसे मध्यावधि समीक्षा, श्रम बजट बैठकें, श्रम बजट संशोधन बैठकें और कार्यक्रम समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों/संघ संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के प्रदर्शन की समीक्षा करता है। राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटरकर्ता , सामान्य समीक्षा मिशन और मंत्रालय के अधिकारी

योजना के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए नियमित अंतराल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं। इसके अतिरिक्त , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 के प्रावधान के अनुसार शिकायतों के निवारण और योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) और लोकपाल तंत्र भी स्थापित किया गया है। केंद्रीय दल की तैनाती के संबंध में , यह उल्लेखनीय कि जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो मामले की गंभीरता के आधार पर मंत्रालय उचित कार्रवाई करता है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 10.12.2024 के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 203 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2013-14 तथा 2014-15 से 2024-25 तक (दिनांक 05.12.2024 की स्थिति अनुसार) बिहार , हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सहित महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत सृजित श्रम-दिवसों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य-संघ राज्य क्षेत्र	सृजित श्रम-दिवस (करोड़ में)	
		2006-07 से 2013-14 तक	2014-15 से 2024-25 तक (05.12.24 की स्थिति अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	220.28	241.07
2	अरुणाचल प्रदेश	1.71	10.53
3	असम	39.80	67.37
4	बिहार	76.58	154.44
5	छत्तीसगढ़	91.11	134.07
6	गोवा	0.10	0.09
7	गुजरात	23.06	41.10
8	हरियाणा	6.28	10.71
9	हिमाचल प्रदेश	16.52	29.94
10	जम्मू और कश्मीर	14.00	34.89
11	झारखंड	53.04	84.39
12	कर्नाटक	58.46	116.80
13	केरल	33.92	90.08
14	लद्दाख*	0.00	1.16
15	मध्य प्रदेश	168.12	209.59
16	महाराष्ट्र	34.00	87.88
17	मणिपुर	15.77	16.98
18	मेघालय	10.58	31.79
19	मिजोरम	9.19	17.96
20	नागालैंड	15.84	18.61
21	ओडिशा	48.79	135.61
22	पंजाब	4.92	26.06
23	राजस्थान	211.94	335.96
24	सिक्किम	2.42	3.73
25	तमिलनाडु	178.83	339.95
26	तेलंगाना**	0.00	134.50

27	त्रिपुरा	29.47	41.09
28	उत्तर प्रदेश	172.05	271.72
29	उत्तराखंड	11.94	23.37
30	पश्चिम बंगाल	111.11	242.85
31	अंडमान और निकोबार	0.34	0.25
32	लक्षद्वीप	0.07	0.00
33	पुदुचेरी	0.50	0.93
34	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.02	0.02
	कुल	**1660.77**	**2955.53**

(नरेगा सॉफ्ट के अनुसार)

* लद्दाख जो पहले जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था, 31.10.2019 को संघ राज्य क्षेत्र बन गया।

** तेलंगाना जो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, 02.06.2014 को राज्य बन गया।

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 10.12.2024 के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 203 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बिहार के दरभंगा जिले में सृजितश्रम-दिवसों का ब्यौरा	
वित्तीय वर्ष	**सृजित श्रम-दिवस (लाख में)**
2014-15	11.92
2015-16	18.38
2016-17	28.91
2017-18	30.30
2018-19	50.95
2019-20	62.93
2020-21	116.74
2021-22	85.10
2022-23	78.07
2023-24	71.32
2024-25 (05.12.24 की स्थित अनुसार)	49.33

वित्त वर्ष 2014-15 से जिला-वार आंकड़े नरेगा सॉफ्ट पर उपलब्ध हैं।

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 10.12.2024 के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 203 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (05.12.2024 की स्थित अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत किए गए आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) लेनदेन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल लेनदेन	एपीबीएस लेनदेन	एपीबीएस लेनदेन %
1	अंडमान और निकोबार	12733	12566	98.69
2	आंध्र प्रदेश	46789402	46602249	99.6
3	अरुणाचल प्रदेश	1117046	1098587	98.35
4	असम	7060220	7017818	99.4
5	बिहार	15493050	15405549	99.44
6	छत्तीसगढ़	20957468	20770896	99.11
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	23049	23016	99.86
8	गोवा	8340	7837	93.97
9	गुजरात	3745281	3623008	96.74
10	हरियाणा	1277271	1247520	97.67
11	हिमाचल प्रदेश	5737910	5386026	93.87
12	जम्मू और कश्मीर	3434436	3388605	98.67
13	झारखंड	19522453	19378155	99.26
14	कर्नाटक	16887342	16833373	99.68
15	केरल	14356946	14277873	99.45
16	लद्दाख	181930	175944	96.71
17	मध्य प्रदेश	24215855	23792569	98.25
18	महाराष्ट्र	19677421	18266588	92.83
19	मणिपुर	1548182	1514640	97.83
20	मेघालय	1691773	1678773	99.23
21	मिजोरम	1766896	1733953	98.14
22	नागालैंड	463426	454278	98.03
23	ओडिशा	14249200	14090549	98.89
24	पुदुचेरी	319319	318319	99.69
25	पंजाब	4091115	4007500	97.96

26	राजस्थान	27810263	27021876	97.17
27	सिक्किम	237549	235811	99.27
28	तमिलनाडु	42782985	42550173	99.46
29	तेलंगाना	26459650	22753200	85.99
30	त्रिपुरा	3297532	3253517	98.67
31	उत्तर प्रदेश	26390502	26189114	99.24
32	उत्तराखंड	1478602	1460332	98.76
	कुल	35,30,85,147	34,45,70,214	97.59

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)